

न्यायालय - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.)

--: विविध आदेश :-

क्रमांक-क्यू/सी.जे.एम./2019

बैतूल, दिनांक-31-7-19

जिला मुख्यालय बैतूल पर स्थित न्यायालयों एवं तहसील न्यायालयों के लिये **माह अगस्त-2019** के अवकाश के दिन की अवधि रविवार एवं अन्य सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर रिमाण्ड पर आवश्यक कार्य किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्बन्ध में निम्नानुसार रिमांड व्यवस्था आदेश पारित किया जाता है तथा रिमाण्ड ड्यूटी चार्ट के अनुसार ही न्यायिक अधिकारी रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे :


क्र.	दिनांक	न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम			
		मुख्यालय बैतूल	तहसील न्यायालय		
			आमला	मैसदेही	मुलताई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
माह अगस्त-2019					
1	04.08.19	श्री अतुलराज भलावी J.M.F.C., बैतूल	श्री सिद्धार्थ शर्मा, J.M.F.C., आमला	श्री विनोद अहिरवार J.M.F.C., मैसदेही	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C. मुलताई
2	08.08.19	सुश्री श्वेता खरे, J.M.F.C., बैतूल	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत J.M.F.C., आमला	श्रीमती मंजूषा तोकाम J.M.F.C., मैसदेही	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C. मुलताई
3	10.08.19	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., बैतूल	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत J.M.F.C., आमला	श्रीमती मंजूषा तोकाम J.M.F.C., मैसदेही	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C. मुलताई
4	11.08.19	श्री दीनानाथ वाडिवा J.M.F.C., बैतूल	श्री सिद्धार्थ शर्मा, J.M.F.C., आमला	श्रीमती मंजूषा तोकाम J.M.F.C., मैसदेही	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C. मुलताई
5	15.08.19	अनीता खजूरिया J.M.F.C., बैतूल	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत J.M.F.C., आमला	श्री विनोद अहिरवार J.M.F.C., मैसदेही	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C. मुलताई
6	17.08.19	श्री अतुलराज भलावी J.M.F.C., बैतूल	श्री सिद्धार्थ शर्मा, J.M.F.C., आमला	श्री विनोद अहिरवार J.M.F.C., मैसदेही	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C. मुलताई
7	18.08.19	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., बैतूल	श्री सिद्धार्थ शर्मा, J.M.F.C., आमला	श्री विनोद अहिरवार J.M.F.C., मैसदेही	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C. मुलताई
8	23.08.19	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., बैतूल	श्री सिद्धार्थ शर्मा, J.M.F.C., आमला	श्रीमती मंजूषा तोकाम J.M.F.C., मैसदेही	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C. मुलताई
9	25.08.19	श्री दीनानाथ वाडिवा J.M.F.C., बैतूल	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत J.M.F.C., आमला	श्री विनोद अहिरवार J.M.F.C., मैसदेही	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C. मुलताई

नोट :-

- उक्त माह **माह-अगस्त-2019** में अन्य किसी कार्यदिवस पर अवकाश घोषित किये जाने पर जिला मुख्यालय बैतूल पर उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा तहसील न्यायालय-आमला, मैसदेही एवं मुलताई पर उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के आवश्यक कार्य देखेंगे।
- तहसील न्यायालय आमला में न्यायाधीशगण के अवकाश पर होने की दशा में तहसील मुलताई में तथा तहसील मुलताई/मैसदेही में न्यायाधीशगण के अवकाश पर होने की दशा में जिला मुख्यालय बैतूल में रिमांड ड्यूटी के मजिस्ट्रेट ड्यूटी को संपादित करेंगे।
- यदि मजिस्ट्रेट अपरिहार्य कारणवश रिमांड ड्यूटी हेतु असमर्थ रहते हैं, तो न्यायाधीशगण आपस में सहमति प्राप्त कर रिमाण्ड ड्यूटी समायोजित बाबत लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल को प्रेषित करेंगे, तदुपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति पश्चात रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे।
- संबन्धित मजिस्ट्रेट के ट्रेनिंग पर होने पर अर्थात् अन्य आकस्मिक स्थिति निर्मित होने की दशा में वर्तमान कार्य विभाजन वर्ष 2019 के परिशिष्ट- अ के अनुसार रिमांड ड्यूटी संपादित की जाएगी।

प्रतिलिपि :-

- (1) श्रीमती अनीता खजूरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
- (2) श्रीमती सुनीता ताराम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
- (3) श्री अतुलराज भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
- (4) श्री दीनानाथ वाडिवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
- (5) सुश्री श्वेता खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
- (6) श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई
- (7) श्रीमती कमला गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई
- (8) श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
- (9) श्री धर्मेन्द्र खण्डायत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
- (10) श्रीमति मंजूषा तेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैसदेही
- (11) श्री विनोद कुमार अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैसदेही
- (12) प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल
- (13) कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल
- (14) अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/भैसदेही/आमला
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (15) पुलिस अधीक्षक बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (16) प्रभारी अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग बैतूल की ओर इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि उक्त विविध आदेश को मुख्यालय एवं तहसील में सभी न्यायिक दण्डाधिकारियों के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जावे।


ए.के. दंदेलिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
जिला-बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय — मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैतूल, जिला—बैतूल (म.प्र.)

—:: विविध आदेश ::—

कमांक—क्यू/सी.जे.एम./2019

बैतूल, दिनांक— 31-7-19

माननीय उच्च न्यायालय के झापन कमांक Reg(II)(SA)/2019/228, Jabalpur Date 13.02.19 के अनुपालन में एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बैतूल के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील पर स्थित न्यायालयों के लिये **माह—अगस्त—2019** में निम्नानुसार कार्य दिवसों पर मध्यान्ह समय दोपहर **02:00—02:30** बजे तक सभी न्यायालयों में अण्डरट्रायल अभियुक्तों से संबंधित रिमांड कार्यवाही जो कि वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से संपादित किया जाना है, सभी न्यायिक दण्डाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अण्डरट्रायल अभियुक्तों से संबंधित रिमांड कार्यवाही, संबंधित दिनांक को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें तथा रिमांड संबंधी कार्यवाही वीडियो कॉन्फेसिंग सिस्टम से कराये जाने के पश्चात उन्हें पुनः प्राप्त करें तथा रिमांड कार्यवाही से संबंधित आवश्यक कार्य किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार न्यायिक दण्डाधिकारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था आदेश पारित किया जाता है—

क्र०	न्यायालय	अधिकारी का नाम	माह अगस्त—2019
1.	बैतूल	अनीता खजूरिया, JMFC	12, 19, 26
		श्री अतुलराज भलावी, JMFC	6, 13, 20, 30
		श्री दीनानाथ वाडिवा, JMFC	1, 8, 22, 29
		श्रीमती सुनीता ताराम, JMFC	7, 14, 21, 28
		श्री गौतम सिंह मरकाम, JMFC	2, 16, 23, 27
		सुश्री श्वेता खरे, JMFC	3, 5, 24, 31
2.	मुलताई	श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, JMFC	समस्त कार्य दिवस
		श्री शिवाथ कुमार शर्मा, JMFC	1, 03, 06, 08, 12, 14, 19, 21, 23, 26, 28, 30
3.	आमला	श्री धर्मेन्द्र सिंह खण्डायत, JMFC	02, 05, 07, 13, 16, 20, 22, 24, 27, 29, 31
		श्रीमती गजूषा तेकाम, JMFC	1, 03, 06, 08, 12, 14, 19, 21, 23, 26, 28, 30
4.	भैंसदेही	श्री विनोद अहिरवार, JMFC	02, 05, 07, 13, 16, 20, 22, 24, 27, 29, 31

नोट:—

1:— यदि मजिस्ट्रेट अपरिहार्य कारणवश वीडियो कॉन्फेसिंग कार्यवाही संपादित करने हेतु असमर्थ रहता है, या उक्त तिथि पर अवकाश पर रहता है, तो वह इसकी सूचना मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैतूल को तत्काल समुचित समय पूर्व देगा एवं वर्तमान कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2019 के परिशिष्ट "अ" के अनुसार वीडियो कॉन्फेसिंग की कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।

2:— संबंधित पीठासीन अधिकारी वीडियो कॉन्फेसिंग स्थल पर ठीक **02:00** बजे पहुँचने का कष्ट करें।

3:— **माह अगस्त—2019** में किसी तिथि पर पूर्व घोषित अवकाश निरस्त होने तथा उसके स्थान पर कार्यदिवस घोषित होने पर उक्त माह में जिन दिवसों में जिस मजिस्ट्रेट की डि्यूटी लगाई गई है वह मजिस्ट्रेट उक्त अवकाश दिवस में वीडियो कॉन्फेसिंग की कार्यवाही करेंगे।

ए०के० ददेलिया
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैतूल